

वरिष्ठ**पुलिस****अधीक्षक****जनपद****आजमगढ़**

सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 155/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-27.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 27.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना- फूलपुर: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**पूर्व की घटना/इतिहास-**

दिनांक 04.09.2019 को वादी मुकदमा ग्राम प्रधान रामचन्द गौतम पुत्र केदार नाथ के तहरीर सूचना के आधार पर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 308/2019 धारा 302/201 भादवि बनाम अजात के पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की गई, दौरान विवेचना दिनांक 31.01.2020 को मुकदमा उपरोक्त पता रसी सुराग रसी को मद्देनजर रखते हुये अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। जिस पर उच्चाधिकारीगण द्वारा अंतिम रिपोर्ट रोकते हुये पुनः विवेचना हेतु आदेशित किया गया। दौरान विवेचना मृतका के DNA के मिलान हेतु FSL भेजा गया जिसमें परीक्षण रिपोर्ट से मु0अ0सं0 308/19 धारा 302, 201 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ की अज्ञात मृतका की पहचान थाना फूलपुर, आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 307/2023 धारा 366 भादवि0 की अपहृता सोनम पुत्री हरिकेश निवासी ऊदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई, जिसके आधार पर थाना फूलपुर, आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 307/2023 धारा 366 भादवि0 को थाना कोतवाली, आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2019 धारा 302/201 भादवि में समाहित करते हुये, थाना कोतवाली, आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 308/2019 धारा 302/201 भादवि में धारा 366, 120बी भादवि0 की बृद्धि कर अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 302/201/366/120बी भादवि0 में सम्पादित किया जा रहा था, अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म धारा 302, 201, 366, 120 बी भादवि का अपराध बखूबी पाये जाने पर जरिये आरोप पत्र संख्या ए-393/23 दिनांक 21.09.2023 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के क्रम में दिनांक 27-04-2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द के दिये गये लिखित फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/20253 धारा 3(1)/2(ख)(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़ बनाम 1 सचिन पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. अश्वनी पुत्र स्व0 बनारसी राम निवासी ग्राम कोलपुर कुशहां थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी प्रारम्भिक विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 27-04-2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1 सचिन पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2. अश्वनी पुत्र स्व0 बनारसी राम निवासी ग्राम कोलपुर कुशहां थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को जगदीशपुर मोड से समय 13-15 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- सचिन पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी ग्राम मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

2. अश्वनी पुत्र स्व० बनारसी राम निवासी ग्राम कोलपुर कुशहां थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 213/25 धारा 3(1) /2(ख)(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद	आजमगढ़	
1	308/2019	302/201/366/120बी भादवि	कोतवाली	आजमगढ़	ए-393/23 दि० 21.09.2023	
2.	08/2024	351(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़	ए-10/25 दि० 13.01.2025	
3.	237/2017	147/148/323/504/506/427/336 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़	ए-235/17 दि० 21.12.2017	
4.	13/2016	147/323/436/504	फूलपुर	आजमगढ़	B-10/16 दि० 06.03.2016	
5.	302/2023	366 भादवि०	फूलपुर	आजमगढ़	B-34/23 दि० 20.08.2023	
6	213/25 3(1) /2(ख)(1)	यूपी गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़	विवेचनाधीन	

अश्वनी पुत्र स्व० बनारसी राम निवासी ग्राम कोलपुर कुशहां थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद	आजमगढ़	
1	308/2019	302/201/366/120बी भादवि	कोतवाली	आजमगढ़	ए-393/23 दि० 21.09.2023	
2	08/2024	351(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़	ए-10/25 दि० 13.01.2025	
3	302/2023	366 भादवि०	फूलपुर	आजमगढ़	B-34/23 दि० 20.08.2023	
4	213/25 3(1) /2(ख)(1)	यूपी गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़	विवेचनाधीन	

थाना कोतवाली फूलपुर

जनपद-आजमगढ़



02.थाना निजामाबाद: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 26.04.25 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराह के द्वारा चेकिंग के दौरान गन्धुवई कोल्ड स्टोर के पास एक व्यक्ति मेराज पुत्र सुफियान निवासी कसाई मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को एक अदद तमंचा नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 3000 रुपये के साथ समय 22.20 बजे हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0-144/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-मेराज पुत्र सुफियान निवासी कसाई मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 3000 रुपये बरामद किये गये।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 203/15 धारा 3/5ए गोवध निवा0 अधि0 थाना निजामाबाद

2.मु0अ0सं0 161/19 धारा 147, 149, 427, 504, 506 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 233/22 धारा 323, 336, 34, 504, 506 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 408/22 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

5.मु0अ0सं0 36/23 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

6.मु0अ0सं0 43/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

7.मु0अ0सं0 70/23 धारा 120-B, 34, 379, 411 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

8.मु0अ0सं0 72/23 धारा 3, 5, 8 गोवध निवा0 अधि0 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

9.मु0अ0सं0 77/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवा0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

10.मु0अ0सं0 81/23 धारा 120-B, 25, 307, 34, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0

11.मु0अ0सं0 380/22 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

12.मु0अ0सं0 408/22 धारा 3, 5, 8 गोव निवा0 अधि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

13.मु0अ0सं0 250/23 धारा 3(1)यू0पी0 गैगे0 अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना – रौनापार: मारपीट के मामले मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

आवेदक राधेश्याम मौर्य पुत्र स्व0 राजाराम मौर्य साकिन उसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर कि दिनांक 25.04.25 को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन के विवाद को लेकर वादी के लड़के शिवकुमार को गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना तथा बचाने आये वादी की पत्नी रीता देवी व पुत्र पवन मौर्या व जयप्रकाश मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या व चन्दन मौर्या पुत्र जयप्रकाश मौर्याको भी मारना पीटना व जाते समय जान मे मारने की धमकी देना तथा शिवकुमार का मौके पर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 142/25 धारा 3(5),110,115(2),352,351(2) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम 1. रामसकल मौर्या पुत्र स्व0 नायक मौर्या 2. हरिकेश मौर्या पुत्र रामसकल मौर्या 3. विनय मौर्या पुत्र रामसकल मौर्या 4. परमशीला मौर्या पत्नी रामसकल मौर्या 5. सरोज देवी पत्नी हरिकेश मौर्या नि0गण ग्रामउसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

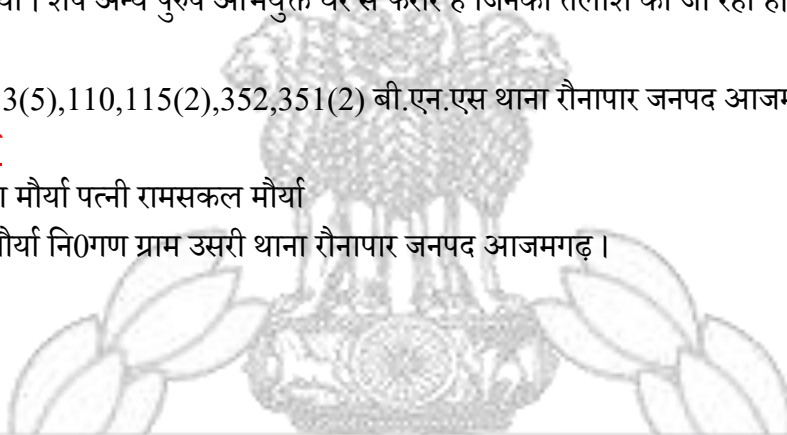
आज दिनांक 27.04.25 उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह मुकदमा उपरोक्त की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त 1.परमशीला मौर्या उर्फ प्रमिला मौर्या पत्नी रामसकल मौर्या 2. सरोज देवी पत्नी ह द्वारा रिकेश मौर्या नि0गण ग्राम उसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। शेष अन्य पुरुष अभियुक्त घर से फरार है जिनकी तलाश की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 142/25 धारा 13(5),110,115(2),352,351(2) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

- 1.परमशीला मौर्या उर्फ प्रमिला मौर्या पत्नी रामसकल मौर्या
2. सरोज देवी पत्नी हरिकेश मौर्या नि0गण ग्राम उसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।



04.थाना – कन्धरापुर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 18.04.2025 को आवेदिका थाना कंधरापुर आजमगढ़ के द्वारा लिखित तहरीर दी कि विपक्षी प्रतिवादीगण 1.गोविन्द सोनकर पुत्र राम सिंह सोनकर सा0 जोलहापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. शनी सोनकर पुत्र महेश सोनकर सा0 भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को नौकरी लगाने का झांसा देकर तथा बहला फुसलाकर वादिनी के गहने बेच कर पैसा रख लेने तथा बाम्बे ले जाकर गलत काम करना और गहना/पैसा मागने पर नहीं देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 97/2025 धारा 69/316(2)/318(4)BNS बनाम 1.गोविन्द सोनकर पुत्र राम सिंह सोनकर सा0 जोलहापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. शनी सोनकर पुत्र महेश सोनकर सा0 भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 18.04.2025 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 27.04.2025 को उ0नि0 मंयक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शनि सोनकर पुत्र महेश सोनकर निवासी भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को मन्दुरी तिराहे से समय 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 97/2025 धारा 69/316(2)/318(4)BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-शनि सोनकर पुत्र महेश सोनकर निवासी भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मंयक कृष्ण उपाध्याय, 2. का0 अनूप खरवार 3. का0 आकाश गौड 4. का0 अखिलेश कुमार 5. का0 अमित जायसवाल 6 म0का0 पूनम सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

